हर इंसान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : 18/2 -A, प्रेम नगर, जनकपुरी, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नं. 4 के पास, नई दिल्ली - 110058

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर -सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

Website :www.samtaandolan.co.in

Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री रामदयाल गोयल
संरक्षक (पूर्व आई. पी. एस.)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

डॉ महावीर सिंह नाथावत
महासचिव, मो.07665555600

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पदेन प्रदेशाध्यक्षः-

दिल्ली
कैप्टेन गुरविन्दर सिंह
मो. 09314142509

चण्डीगढ़
श्रीराम पंसारी
मो. 09876127663

हरियाणा
धर्मवीर सिंह
मो. 09355084877

मध्यप्रदेश
अशोक शर्मा
मो. 07552576022

उत्तर प्रदेश
गिरजेश शर्मा
मो. 09412445269

उत्तराखण्ड
सी. एम. डिमरी
मो. 09411103390

छतीसगढ़
आर. सी. द्विवेदी
मो. 09752592233

गुजरात
धीरज जे. पंचाल
मो. :09428600409

महाराष्ट्र
संजीव शुक्ला
मो. 09821390321

कर्नाटक
वेंकटरमनन कृष्णामूर्ति
मो. 09538966339

राजस्थान
पी. एन. शर्मा
मो. 09413389665

क्रमांक 20127 दिनांक : 08.07.2019

श्रीमान् सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन
नई दिल्ली–110001

विषयः– **NEET-2019** में **NRI** को दिया जा रहा अविधिक एवं असंवैधानिक आरक्षण तत्काल बन्द किया जावे।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य में **NEET-2019** की काउन्सलिंग में **NRI** के लिए 212 सीटें आरक्षित की गयी हैं जो अविधिक हैं, असंवैधानिक हैं और धन बटोरने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के होनहार बच्चों पर किया गया अन्यायपूर्ण अत्याचार है क्योंकिः–

1. भारतीय संविधान ऐसे किसी भी आरक्षण की इजाजत नहीं देता है।
2. यह भारतीय नागरिको को मिले समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है।
3. यह अविधिक तरीके से धन बटोरने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के होनहार बच्चों के संवैधानिक अधिकारों को अन्यायपूर्ण तरीके अपहृत करने की अक्षम्य करतूत है।

उपरोक्त के अलावा भी यह आरक्षण निम्न अविधिक कृत्यों के कारण बेहद आपत्तिजनक एवं अस्वीकार्य हैः–

1. आप द्वारा **NRI** की परिभाषा को तानाशाही रूप से बदल दिया गया है और इसे अविधिक रूप से धन बटोरने के लिए बार–बार बदला गया है। व्यवहारिक रूप से इन आरक्षित सीटों का लाभ कालेधन के बल पर फर्जी **NRI** को खुले आम दिया जा रहा है।

2. प्रदेश के मूल निवासी ओबीसी एवं **EWS** (अधिकतम प्रमाणिक पारिवारिक आय 8.00 लाख रूपये वार्षिक) को भी **NRI** सीट आबंटित करना, जिसकी कुल घोषित फीस 80 लाख रूपये है। प्रकटतः प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिविक रूप से धन बटोरने के लिए अविधिक कार्यवाहियॉ करने वालों को अविधिक रूप से पुरस्कृत किया जा रहा है।

3. स्पान्सर करने वाले **NRI** को पहले विदेशी मुद्रा में फीस भरना अनिवार्य था अब ये फीस **NRI** द्वारा भारतीय मुद्रा में भी भरने की अनुमति दे दी गयी है। वस्तुतः अब कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी दूर का रिश्तेदार या मित्र विदेश मे रहता है उससे एक तथाकथित अण्डर टेकिंग लाकर पेश करके अपने कालेधन के बल पर अपने बेहद अपात्र बच्चे को न्यूनतम रैंक पर भी एम.बी.बी.एस करवा सकता है। राज्य सरकार का ये प्रावधान अनैतिक और अविधिक होने के साथ–साथ शर्मनाक भी है।

(लगातार--- 2)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

डॉ महावीर सिंह नाथावत
महासचिव, मो.07665555600

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पदेन प्रदेशाध्यक्षः-

दिल्ली
कैप्टेन गुरविन्दर सिंह
मो. 09314142509

चण्डीगढ़
श्रीराम पंसारी
मो. 09876127663

हरियाणा
धर्मवीर सिंह
मो. 09355084877

मध्यप्रदेश
अशोक शर्मा
मो. 07552576022

उत्तर प्रदेश
गिरजेश शर्मा
मो. 09412445269

उत्तराखण्ड
सी. एम. डिमरी
मो. 09411103390

छत्तीसगढ़
आर. सी. द्विवेदी
मो. 09752592233

गुजरात
धीरज जे. पंचाल
मो. :09428600409

महाराष्ट्र
संजीव शुक्ला
मो. 09821390321

कर्नाटक
वेंकटरमनन कृष्णामूर्ति
मो. 09538966339

राजस्थान
पी. एन. शर्मा
मो. 09413389665

क्रमांक दिनांक :

4. **NEET-2019** की सूचना पुस्तिका **(Information Booklet)** के पैरा 4(जी) में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रथम काउन्सलिंग में जो भी आरक्षित सीटें खाली रह जायेगी वे द्वितीय काउन्सलिंग में सामान्य मैरिट से भरी जायेगी। लेकिन **NRI** के प्रकरण में राजस्थान राज्य के काउन्सलिंग बोर्ड ने **MCI** के इस नियम के विरूद्ध जाकर यह निर्णय किया है कि **NRI** के अविधिक कोटे की रिक्त रही सीटों को **Mop-up** तक ले जाया जायेगा और राजस्थान राज्य के बाहर के भी **NRI** को कालेधन के बल पे आरक्षित सीटें लेने का अवसर दिया जावेगा। राजस्थान के काउन्सलिंग बोर्ड का यह अविधिक निर्णय प्रकटतः घूसखोरी का प्रमाण है लेकिन राज्य सरकार मौन है।

5. राजस्थान राज्य में **NEET-2019** की प्रथम काउन्सलिंग में जिन सरकारी कॉलेजों में **NRI** को आरक्षण दिया गया है उनमें सामान्य वर्ग की न्यूनतम रैंक 4777 (परसन्टाइल 99.65) कुमारी नन्दिनी गुप्ता सुपुत्री श्री प्रमेन्द्र कुमार गुप्ता रोल नम्बर 390570887 है और **NRI** वर्ग की न्यूनतम रैंक 420273 (परसन्टाइल 70.00) श्री सक्षम अजमेरा सुपुत्र श्री संजय अजमेरा रोल नम्बर 390323889 है। इसी प्रकार सोसायटी कॉलेजों में सामान्य वर्ग की न्यूनतम रैंक 6327(परसन्टाइल 99.55) कु. टिवंकल महेश्वरी सुपुत्री श्री नवीन खटौड, रोल नम्बर 390319877 है तथा **NRI** वर्ग की न्यूनतम रैंक 6,61,060 (परसन्टाइल 52.97) कु0 अरहामा खान सुपुत्री श्री मोअज्जम मसूद, रोल नम्बर 390506606 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कालेधन के बल पर किस प्रकार बेहद अयोग्य एवं अपात्र अभ्यर्थियों को फर्जी **NRI** के नाम पर अविधिक और असंवैधानिक तरीके से एम.बी.बी.एस. में प्रवेश दिलवाकर **MCI** एवं राजस्थान काउन्सलिंग बोर्ड द्वारा देश के आम नागरिक को मारने का लाइसेन्स दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार तथाकथित **NRI** को **NEET-2019** में आरक्षण दिया जाना अविधिक, असंवैधानिक, अनैतिक होने के साथ ही न्यायप्रिय होनहार अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण अत्याचार भी है। अतः इस फर्जी **NRI** आरक्षण को तत्काल बन्द करके ये सीटें सामान्य मैरिट से भरी जावें अन्यथा हमें मजबूर होकर विधिक कार्यवाही करनी होगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सादर,

भवदीय

पाराशर नारायण